

से 3 काम बनाम जगन्नाथ वर्मा
 हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
 दावा न्यून - 839/17

7-11-22

पत्रावली आज पेश हुई।
 वकील वादी व पक्षकारान अनुपास्थित।
 प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुककर
 बार-बार आवाज दिलवायी गयी। वकील
 वादी व पक्षकारान में से कोई हाजिर
 अदालत नहीं आये हैं। अतः वकील वादीगण
 व पक्षकारान की अनुपास्थिति में दावा स्थाई
 निषेधाज्ञा को अदम हाजरी व अदम पैखी
 में खारिज किया जाता है। पत्रावली
 फैसल शुमार होकर बाद तत्काल दाखिल
 दफ्तर हैं।

(Signature)
 (दिलीप सिंह)
 सहायक जज (फास्ट ट्रेक)
 क्षमिाधोपुर, सीकर

